137 चुने हुए लोक उद्यमों को विश्व स्तरीय आकार देना – बोर्ड का पुनर्गठन–गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चुनाव के लिए अन्वेषण समिति गठित करना।

सरकार के न्यूनतम याझा कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ–साथ इस बात का उल्लेख है कि सरकार उन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की पहचान करेगी जिनके पास विश्व स्तर की कंपनी बनने के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं हैं और उन्हें विश्व स्तरीय कंपनी बनने के उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करेगी। इस कार्य को करने के लिए सरकार ने गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों के रूप में संगत विषय के प्रोफेशनल्स और विशेषज्ञों को शामिल करके लोक उद्यमों के बोर्ड का पुनर्गठन करने को प्राथमिकता दी है।

2. उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में सरकार ने एक अन्वेषण समिति गठित की है जो गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों का पैनल संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी जिन्हें अलग–अलग उद्यमों में नियोजित करने पर विचार किया जा सकेगा। अन्वेषण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:–

(i) अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड

(ii) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव

(iii) सचिव, लोक उद्यम विभाग

3. अन्वेषण समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम चयन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों के लिए सतर्कता संबंधी किसी विशिष्ट अनापत्ति प्राप्त करने की कोई पृथक आवश्यकता नहीं है और निदेशकों की योग्यता/अयोग्यता के संबंध में सार्वजनिक सीमित कंपनियों पर लागू कंपनी अधिनियम की शर्तें इन मामलों में भी लागू होंगी।

4. अन्वेषण समिति मुख्य रूप से नवरत्न कंपनियों अर्थात् भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स मिलिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपारेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, इंडियन पैट्रो–केमिकल्स कारपारेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैर कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड आदि के गैर सरकारी अंश कालिक निदेशकों के चयन का कार्य करती है। लेकिन अन्वेषण समिति गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की सिफारिश करने के लिए अपने दायरे में अन्य महत्वपूर्ण उद्यमों पर भी विचार कर सकती है।

5.उपर्युक्त को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले उद्यमों की जानकारी में लाएं।

(लोक उद्यम विभाग का.ज्ञा.सं. लो.उ.वि./11(2)/97–वित्त, तारीख 22 जुलाई, 1997)